बिहार सरकार

समाहरणालय, वैशाली (हाजीपुर)

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

E-Mail Id- dm-vaishali.bih@nic.in, Phone No.-06224-272201, Fax No.-272501 /272503

आ दे श

तम्बाकु का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। थुकना (Spitting) एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोगों के फैलाने का एक प्रमुख कारण है। तम्बाकु सेवन करने वालों की प्रवृति यत्र-तत्र थुकने की होती है। थुकने के कारण कई गंभीर बीमारियों यथा कोरोना (COVID-19), इन्सेफलाईटिस, यक्षमा, स्वाईन फ्लु इत्यादि के संक्रमण फैलने की संभावना प्रबल रहती है। तम्बाकु सेवन करने वाले लोग गंदगी फैलाकर वातावरण को दुषित करते हैं जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थिति तैयार होती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा इस विश्वव्यापी महामारी के रोक-थाम एवं बचाव हेतु कई तरह के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि विरुद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो – उस व्यक्ति को छः मास अवधि तक का कारावास / अथवा रू0 200/- (दो सौ) तक के जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकु उत्पादन अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा-4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित स्थलों पर धुम्रपान निषेध का उलंघन करने पर दण्ड स्वरूप 200/- (दो सौ) तक का जुर्माना लगाने तक का प्रावधान है।

विदित हो कि तम्बाकु सेवन के उपरान्त यत्र-तत्र थुकने को निषिद्य करने के साथ वातावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग मिलेगा। साथ ही यह कदम राज्य सरकार के कोरोना वायरस (COVID-19) जैसी महामारी से बचाने तथा स्वच्छ भारत स्वस्थ्य भारत अभियान में अहम योगदान होने के साथ ही जन-स्वास्थ्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।

उक्त के आलोक में जन-स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वैशाली जिला के सभी सरकारी / गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर तथा सभी थाना एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तम्बाकु पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला एवं जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। इस आशय का बोर्ड / टिन प्लेट का प्रारूप आदेश के साथ संलग्न है। यदि कोई भी पदाधिकारी / कर्मचारी या आगन्तुक उक्त नियम का उल्लंघन करते हैं तो उल्लंघन कर्त्ताओं पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक 501 /गो0, हाजीपुर, दिनांक 18.4.2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, वैशाली / उप विकास आयुक्त, वैशाली / अपर समाहर्त्ता, वैशाली / सिविल सर्जन, वैशाली / जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकु नियंत्रण कार्यक्रम, वैशाली / अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर / महुआ / महनार / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हाजीपुर / महुआ / महनार / जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली / जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वैशाली / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, वैशाली / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, वैशाली / सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली जिला / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी अंचल अधिकारी / सभी थानाध्यक्ष एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, वैशाली के निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से सभी प्रीन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के पत्रकारों को उक्त आदेश का मिडिया कवरेज कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, वैशाली / आई0टी0 मैनजर, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उपरोक्त आदेश को वैशाली जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाय।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकोनामिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेन्ट सोसाईटी (सीड्स), 32 पुष्कर अपार्टमेन्ट, गॉधी मुर्त्ति, पटेल नगर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी
वैशाली।

E:\A_Hoda_8311_25518\Main_Order_2020.doc

"घर में रहें सुरक्षित रहें"